

## बिहार विधान सभा सचिवालय

**सप्तदश बिहार विधान सभा का सप्तम् सत्र  
दिनांक 16 दिसम्बर, 2022**

की

**कार्य-सूची**

**वित्तीय वर्ष 2022-2023 के द्वितीय अनुपूरक  
व्यय विवरण से संबंधित  
कटौती प्रस्ताव**

## **माँग संख्या-01**

### **आय-व्ययक शीर्षक-कृषि विभाग**

1. प्रभारी मंत्री, कृषि विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "कृषि विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त **342,81,60,000/-** (तीन सौ बयालीस करोड़ इक्यासी लाख साठ हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 2-4. श्री अरूण शंकर प्रसाद, श्री अख्तरुल ईमान एवं श्री संजय सरावगी प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की कृषि नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

## **माँग संख्या-02**

### **आय-व्ययक शीर्षक-पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग**

5. प्रभारी मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त **106,96,91,000/-** (एक सौ छः करोड़ छियान्वे लाख इक्यान्वे हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

6. श्री अरूण शंकर प्रसाद प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की पशु एवं मत्स्य संसाधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

## **माँग संख्या-03**

### **आय-व्ययक शीर्षक-भवन निर्माण विभाग**

7. प्रभारी मंत्री, भवन निर्माण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "भवन निर्माण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त **1105,65,86,000/-** (एक हजार एक सौ पाँच करोड़ पैंसठ लाख छियासी हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 8-10. श्री अरूण शंकर प्रसाद, श्री अख्तरुल ईमान एवं श्री संजय सरावगी प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की भवन निर्माण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

## **माँग संख्या-04**

### **आय-व्ययक शीर्षक-मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग**

11. प्रभारी मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त **102,68,80,000/-** (एक सौ दो करोड़ अड़सठ लाख अस्सी हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

## **माँग संख्या-06**

### **आय-व्ययक शीर्षक- निर्वाचन विभाग**

12. प्रभारी मंत्री, निर्वाचन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "निर्वाचन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त **28,00,000/-** (अद्वाईस लाख) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

## **माँग संख्या-07**

### **आय-व्ययक शीर्षक- निगरानी विभाग**

13. प्रभारी मंत्री, निगरानी विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "निगरानी विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त **1,28,00,000/-** (एक करोड़ अद्वाईस लाख) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

## **माँग संख्या-08**

### **आय-व्ययक शीर्षक- कला, संस्कृति एवं युवा विभाग**

14. प्रभारी मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "कला, संस्कृति एवं युवा विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त **76,00,000/-** (छिह्तर लाख) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

15. श्री अरुण शंकर प्रसाद, प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय ।  
राज्य सरकार की कला, संस्कृति एवं युवा नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

### माँग संख्या-09

#### आय-व्ययक शीर्षक-सहकारिता विभाग

16. प्रभारी मंत्री, सहकारिता विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "सहकारिता विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त **63,00,77,000/-** (तिरेसठ करोड़ सतहतर हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

17. श्री अरुण शंकर प्रसाद प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय ।  
राज्य सरकार की सहकारिता नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

### माँग संख्या-10

#### आय-व्ययक शीर्षक-ऊर्जा विभाग

18. प्रभारी मंत्री, ऊर्जा विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 'ऊर्जा विभाग' के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त **1390,81,62,000/-** (एक हजार तीन सौ नब्बे करोड़ इक्यासी लाख बासठ हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

- 19-21 श्री अरुण शंकर प्रसाद, श्री अख्तरुल ईमान एवं श्री संजय सरावणी प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय ।  
राज्य सरकार की ऊर्जा विभाग नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

### माँग संख्या-11

#### आय-व्ययक शीर्षक-पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

22. प्रभारी मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त **21,04,000/-** (इक्कीस लाख चार हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

**माँग संख्या-12**  
**आय-व्ययक शीर्षक-वित्त विभाग**

23. प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "वित्त विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त **400,47,01,000/-** (चार सौ करोड़ सौ तालीस लाख एक हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

**माँग संख्या-15**  
**आय-व्ययक शीर्षक-पेंशन**

24. प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पेंशन" के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त **1136,00,00,000/-** (एक हजार एक सौ छत्तीस करोड़) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

**माँग संख्या-16**  
**आय-व्ययक शीर्षक-पंचायती राज विभाग**

25. प्रभारी मंत्री, पंचायती राज विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पंचायती राज विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त **107,22,00,000/-** (एक सौ सात करोड़ बाईस लाख) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 26-27. श्री अरुण शंकर प्रसाद, श्री अख्तरुल ईमान प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की पंचायती राज नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

## माँग संख्या-17

### आय-व्ययक शीर्षक-वाणिज्य-कर विभाग

28. प्रभारी मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए “वाणिज्य-कर विभाग” के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त **1,50,01,000/-** (एक करोड़ पचास लाख एक हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

## माँग संख्या-18

### आय-व्ययक शीर्षक-खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

29. प्रभारी मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए “खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग” के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त **22,93,03,000/-** (बाईस करोड़ तिरानवे लाख तीन हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

30. श्री अरूण शंकर प्रसाद प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।  
राज्य सरकार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

## माँग संख्या-19

### आय-व्ययक शीर्षक पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

31. प्रभारी मंत्री, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए “पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग” के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त **82,67,74,000/-** (बयासी करोड़ सहस्र सात लाख चौहतर हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

32. श्री अरूण शंकर प्रसाद प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।  
राज्य सरकार की पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

## माँग संख्या-20

### आय-व्ययक शीर्षक-स्वास्थ्य विभाग

33. प्रभारी मंत्री, स्वास्थ्य विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "स्वास्थ्य विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त **1818,39,48,000/-** (एक हजार आठ सौ अद्वारह करोड़ उनतालीस लाख अड़तालीस हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल को सिफारिश पर किया गया है।

- 34-36. श्री अरुण शंकर प्रसाद, श्री अख्तरुल ईमान एवं श्री संजय सरावगी प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की स्वास्थ्य नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

## माँग संख्या-21

### आय-व्ययक शीर्षक-शिक्षा विभाग

37. प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "शिक्षा विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त **2247,24,92,000/-** (दो हजार दो सौ सैंतालीस करोड़ चौबीस लाख बानवे हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल को सिफारिश पर किया गया है।

- 38-40. श्री अरुण शंकर प्रसाद, श्री अख्तरुल ईमान एवं श्री संजय सरावगी प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की शिक्षा नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

## माँग संख्या-22

### आय-व्ययक शीर्षक-गृह विभाग

41. प्रभारी मंत्री, गृह विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "गृह विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त **38,25,94,000/-** (अड़तीस करोड़ पच्चीस लाख चौरानवे हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल को सिफारिश पर किया गया है।

- 42-43. श्री अरुण शंकर प्रसाद एवं श्री अख्तरुल ईमान प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की गृह नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

## **माँग संख्या-23**

### **आय-व्ययक शीर्षक-उद्योग विभाग**

44. प्रधारी मंत्री, उद्योग विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए “उद्योग विभाग” के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त **1696,67,69,000/-** (एक हजार छः सौ छियान्वे करोड़ सहस्र लाख उनहतर हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 45-46. श्री अरूण शंकर प्रसाद एवं श्री अख्तरल ईमान प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की उद्योग नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

## **माँग संख्या-25**

### **आय-व्ययक शीर्षक-सूचना प्रावैद्यिकी विभाग**

47. प्रधारी मंत्री, सूचना प्रावैद्यिकी विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए “सूचना प्रावैद्यिकी विभाग” के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त **77,50,25,000/-** (सतहतर करोड़ पचास लाख पच्चीस हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

## **माँग संख्या-26**

### **आय-व्ययक शीर्षक-श्रम संसाधन विभाग**

48. प्रधारी मंत्री, श्रम संसाधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए “श्रम संसाधन विभाग” के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त **14,33,26,000/-** (चौदह करोड़ तैनीस लाख छब्बीस हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

49. श्री अरूण शंकर प्रसाद प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।  
राज्य सरकार की श्रम संसाधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

## **माँग संख्या-27**

### **आय-व्ययक शीर्षक-विधि विभाग**

50. प्रभारी मंत्री, विधि विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "विधि विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त **54,28,83,000/-** (चौकन करोड़ अट्टाईस लाख तिरासी हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

## **माँग संख्या-29**

### **आय-व्ययक शीर्षक-खान एवं भूतत्व विभाग**

51. प्रभारी मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "खान एवं भूतत्व विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त **7,18,00,000/-** (सात करोड़ अट्टारह लाख) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

## **माँग संख्या-30**

### **आय-व्ययक शीर्षक-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग**

52. प्रभारी मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "अल्पसंख्यक कल्याण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त **27,28,000/-** (सत्ताईस लाख अट्टाईस हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 53-54. श्री अरूण शंकर प्रसाद, एवं श्री अख्तरुल इमान प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की अल्पसंख्यक कल्याण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

**माँग संख्या-32**  
**आय-व्ययक शीर्षक-विधान मंडल**

55. प्रभारी मंत्री, विधान मंडल प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए “विधान मंडल” के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त **75,00,000/-** (पचहत्तर लाख) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

**माँग संख्या-33**  
**आय-व्ययक शीर्षक-सामान्य प्रशासन विभाग**

56. प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए “सामान्य प्रशासन विभाग” के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त **40,27,69,000/-** (चालीस करोड़ सत्ताईस लाख उनहत्तर हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

**माँग संख्या-35**  
**आय-व्ययक शीर्षक-योजना एवं विकास विभाग**

57. प्रभारी मंत्री, योजना एवं विकास विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए “योजना एवं विकास विभाग” के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त **2,00,00,000/-** (दो करोड़) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

**माँग संख्या-36**  
**आय-व्ययक शीर्षक-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग**

58. प्रभारी मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए “लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग” के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त **1,000/-** (एक हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

59. अरुण शंकर प्रसाद प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।  
राज्य सरकार को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

### माँग संख्या-37

#### आय-व्ययक शीर्षक-ग्रामीण कार्य विभाग

60. प्रभारी मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए “ग्रामीण कार्य विभाग” के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त **1280,00,00,000/-** (एक हजार दो सौ अस्सी करोड़) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 61-63. श्री अरुण शंकर प्रसाद, श्री अख्तरुल ईमान एवं श्री संजय सरावगी प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की ग्रामीण कार्य नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

### माँग संख्या-38

#### आय-व्ययक शीर्षक-मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

64. प्रभारी मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए “मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग” के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त **102,03,01,000/-** (एक सौ दो करोड़ तीन लाख एक हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

65. श्री अरुण शंकर प्रसाद प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।  
राज्य सरकार की मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

### माँग संख्या-39

#### आय-व्ययक शीर्षक-आपदा प्रबंधन विभाग

66. प्रभारी मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए “आपदा प्रबंधन विभाग” के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त **730,00,01,000/-** (सात सौ तीस करोड़ एक हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 67-68. श्री अरुण शंकर प्रसाद, श्री अख्तरुल ईमान प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय ।

राज्य सरकार की आपदा प्रबंधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

### माँग संख्या-40

#### आय-व्ययक शीर्षक-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

69. प्रभारी मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त **66,08,67,000/-** (छियासठ करोड़ आठ लाख सड़सठ हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

- 70-71. श्री अरुण शंकर प्रसाद, श्री अख्तरुल ईमान प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय ।

राज्य सरकार की राजस्व एवं भूमि सुधार नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

### माँग संख्या-41

#### आय-व्ययक शीर्षक-पथ निर्माण विभाग

72. प्रभारी मंत्री, पथ निर्माण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पथ निर्माण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त **1860,00,01,000/-** (एक हजार आठ सौ साठ करोड़ एक हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

- 73-74. श्री अरुण शंकर प्रसाद, श्री अख्तरुल ईमान प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय ।

राज्य सरकार की पथ निर्माण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

### माँग संख्या-42

#### आय-व्ययक शीर्षक-ग्रामीण विकास विभाग

75. प्रभारी मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "ग्रामीण विकास विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त **1895,05,29,000/-** (एक हजार आठ सौ पंचानवे करोड़ पाँच लाख उनतीस हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

- 76-77. श्री अरूण शंकर प्रसाद, श्री अख्तरुल ईमान प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की ग्रामीण विकास नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

### माँग संख्या-43

#### आय-व्ययक शीर्षक-विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

78. प्रभारी मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त **58,03,07,000/-** (अद्यावन करोड़ तीन लाख सात हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

### माँग संख्या-44

#### आय-व्ययक शीर्षक-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

79. प्रभारी मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त **40,00,00,000/-** (चालीस करोड़) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

### माँग संख्या-45

#### आय-व्ययक शीर्षक- गन्ना उद्योग विभाग

80. प्रभारी मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "गन्ना उद्योग विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त **13,00,000/-** (तेरह लाख) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

## माँग संख्या-46

### आय-व्ययक शीर्षक-पर्यटन विभाग

81. प्रभारी मंत्री, पर्यटन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पर्यटन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त **30,15,48,000/-** (तीस करोड़ पन्द्रह लाख अड़तालीस हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

## माँग संख्या-47

### आय-व्ययक शीर्षक-परिवहन विभाग

82. प्रभारी मंत्री, परिवहन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "परिवहन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त **50,00,01,000/-** (पचास करोड़ एक हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

## माँग संख्या-48

### आय-व्ययक शीर्षक-नगर विकास एवं आवास विभाग

83. प्रभारी मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "नगर विकास एवं आवास विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त **1000,08,00,000/-** (एक हजार करोड़ आठ लाख) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

84. श्री अरूण शंकर प्रसाद प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की नगर विकास एवं आवास नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

## **माँग संख्या-49**

### **आय-व्ययक शीर्षक-जल संसाधन विभाग**

85. प्रभारी मंत्री, जल संसाधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "जल संसाधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त **162,15,72,000/-** (एक सौ बासठ करोड़ पन्द्रह लाख बहत्तर हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 86-87. श्री अरूण शंकर प्रसाद, श्री अख्तरुल ईमान प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की जल संसाधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

## **माँग संख्या-50**

### **आय-व्ययक शीर्षक- लघु जल संसाधन विभाग**

88. प्रभारी मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "लघु जल संसाधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त **203,28,82,000/-** (दो सौ तीन करोड़ अद्वाईस लाख बयासी हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

89. श्री अरूण शंकर प्रसाद प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की लघु जल संसाधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

## **माँग संख्या-51**

### **आय-व्ययक शीर्षक-समाज कल्याण विभाग**

90. प्रभारी मंत्री, समाज कल्याण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "समाज कल्याण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त **688,32,87,000/-** (छ: सौ अद्वासी करोड़ बत्तीस लाख सत्तासी हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

**पवन कुमार पाण्डेय**

**प्रभारी सचिव**

**बिहार विधान सभा, पटना।**

----- कटीती प्रस्ताव की स्वीकृति का निर्णय सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा किया जायेगा। -----

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-०८/२०२१-५१४५ / विंस०, पटना, दिनांक- १५ दिसम्बर, २०२२ ई० ।

प्रति:-बिहार विधान सभा के सभी माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / अन्य मर्त्रिगण / सरकार के मुख्य सचिव / सरकार के सभी विभाग / राज्यपाल के प्रधान सचिव / अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग एवं प्रधान सचिव, संसदीय कार्य विभाग / निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग / महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
15/१२/२२

(पवन कुमार सिंह)  
उप सचिव,  
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-०८/२०२१-५१४५ / विंस०, पटना, दिनांक- १५ दिसम्बर, २०२२ ई० ।

प्रति:-माननीय अध्यक्ष महोदय के आप सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप सचिव / प्रधान आप सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।


  
15/१२/२२

(पवन कुमार सिंह)  
उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।


ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-०८/२०२१-५१४५ / विंस०, पटना, दिनांक- १५ दिसम्बर, २०२२ ई० ।

प्रति:-सूचना शाखा / विधायी शाखा एवं विधायी बजट शाखा, बिहार विधान सभा (पाँच प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
15/१२/२२

(पवन कुमार सिंह)  
उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

  
15/१२/२२